Office of the Accountant General (A&E)-I
Madhya Pradesh, Gwalior

No.Admin.I/Canteen/ 178 Date: 09.01.2025

CIRCULAR

Circular No.प्रशा.एक/प्रतिनि./2024-25/166 dated 26.12.2024 for filling up the post of Manager Grade-II (Canteen Manager) in this office may be referred. Last date to apply for the above post against the said circular which was 31.12.2024, is further extended up to 24.01.2025.

(Authority: Orders of Accountant General dated 08.01.2025)

Encl.: Previously issued circular dated 26.12.2024.

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 09-01-2025 09:38:43
Dy. Accountant General/ Admin.

Copy to:

All IA&AD offices (as per mailing list)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदादी)-प्रथम,
मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्र.प्रशा.एक/प्रतिनि./2024-25/ 166 — दिनांक: 26 .12.2024

परिपत्र

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालयों से इस कार्यालय में निम्नलिखित संवर्ग में रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

स.क्र.	पद	पे-मैट्रिक्स में लेवल	योग्यता
1.	प्रबन्धक श्रेणी-II	लेवल 6 (35400-112400/- रू.)	प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी – (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रू.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रू.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो और (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारोबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री । (ii) किसी सरकारी कार्यालय का पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन के लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।

- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- आवेदनकर्ता की आयु आवेदन करने के अंतिम दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का होगा ।
- चयनित कर्मचारी समय-समय पर संशोधित डी.ओ.पी.टी. के प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार लागू होने वाले प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होंगे ।
- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
- आवेदन करने के इच्छुक कर्मचारी, जो उपर्युक्त योग्यता धारण करते हों , अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों सहित दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय को उचित माध्यम से (संवर्ग नियंत्रक अधिकारी की मंजूरी के साथ विधिवत अग्रेषित) प्रेषित कर सकते हैं ।

1. बायो-डाटा की 2 प्रतियां । (Annexure-I)
2. विगत 05 वर्षों की ए.पी.ए.आर. की सत्यापित प्रतियां ।
3. कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाही एवं लघु/दीर्घ शास्ति न होने संबंधी प्रमाण-पत्र ।

(महालेखाकार के अनुमोदन से जारी)

संलग्नक: Annexure-I

उपमहालेखाकार/प्रशासन